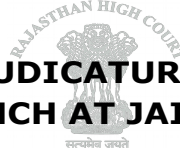




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9039/2025

Mousim @ Mousam S/o Chhuttan, R/o Kahrani, Police Station
Bhiwadi Phase Third, Tehsil Tapukara, District Khairthal-Tijara,
Raj.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ishwar Lal Jain
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/09/2025

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना टपूकडा, जिला-भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2025 अपराध अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया जा रहा है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त आदिल के आधिपत्य से 7.5 किलोग्राम गांजा, जो कि व्यावसायिक मात्रा से कम है, बरामद होना बताया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार सहअभियुक्त आदिल ने उक्त गांजा सलीम व वकील से खरीदना बताया गया है और बाद में अनुसंधान के दौरान इकबाल, साहुल और आमिर से खरीदना बताया गया है। उनका तर्क है कि सहअभियुक्त आदिल बार-बार विभिन्न व्यक्तियों के नाम ले रहा है और इसी प्रकार से उसने बाद में चौथी बार में प्रार्थी-अभियुक्त का नाम लिया है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई अपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त को उक्त अपराध से जोड़ने की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त अनुसंधान में भाग



लेने के लिए तत्पर है। उसके गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। अतः उसकी अग्रिम जमानत का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अपराध का अभियोग है। अनुसंधान के दौरान सहअभियुक्त आदिल द्वारा इस आशय की सूचना दी गई है कि उसने उक्त गांजा प्रार्थी-अभियुक्त से खरीदा था। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त से अन्वेषण की आवश्यकता है। अतः उसे अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी-अभियुक्त पर धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अभियोग है। प्रकरण में सहअभियुक्त आदिल से 7.5 किलोग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सहअभियुक्त ने उक्त गांजा सलीम व वकील से खरीदना बताया था और बाद में अनुसंधान के दौरान उक्त गांजा इकबाल और साहुल से खरीदना बताया एवं इसके बाद उसने आमिर से खरीदना बताया। इन सभी के बाद सहअभियुक्त आदिल ने प्रार्थी-अभियुक्त से उक्त गांजा खरीदना बताया है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी-अभियुक्त अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 16.09.2025 को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करेगा और अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी-अभियुक्त से आवश्यक अनुसंधान कर प्रकरण की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी सुनवाई तिथि पर विद्वान लोक अभियोजक के मार्फत् न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को सूचीबद्ध की जाए, तब तक इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाये। प्रार्थी-अभियुक्त के दिनांक 16.09.2025 तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(SHUBHA MEHTA),J